


अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही


भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना “भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – ।।” के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत लोरमी ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ–वे में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुद्ध किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।


 प्राधिकृत अधिकारी
 टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
 वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
 रायपुर छत्तीसगढ़


 वनमण्डलाधिकारी
 मुंगेली, वनमण्डल
 जिला – मुंगेली छत्तीसगढ़


 परिक्षेत्र अधिकारी
 वन परिक्षेत्र खुड़िया (छ.ग.)


 उष्ण वन मण्डलाधिकारी
 लोरमी उथ व.पं.